कार्यालय संयुक्त संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय नर्मदापुरम् संभाग इटारसी

क्रमांक/मण्डी बोर्ड/स्टोर/वाहन किराया/2019–20/226   केम्प इटारसी दिनांक 15.1.2020

:– निविदा आंमत्रण सूचना –:

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आंचलिक कार्यालय नर्मदापुरम संभाग इटारसी के लिये एवं आंचलिक कार्यालय के उडन दस्ता के लिये दो बोलेरो वाहन अथवा समकक्ष किराये पर उपलब्ध कराने हेतु म0प्र0 शासन के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत फर्म/संस्थाओ ट्रेवल एजेन्सियो से तीन लिफाफा पद्वति में मुहरबंद निविदायें पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/ (कोरियर सर्विस मान्य नहीं होगी) के माध्यम से दिनांक 03.02.2020 को समय 05:30 बजे तक आंमत्रित की जाती है । प्राप्त निविदायें दिनांक 04.02.2020 को समय 12:00 बजे उपस्थित निविदाकारो अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी । निविदा प्रपत्र राशि रू 1000/–जमा कर दिनांक 29.01.2020 समय 05:30 बजे तक कार्यालय समय में (शासकीय अवकाश के दिनों को छोडकर) उक्त कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है ।

शर्ते कार्यालयीन समय में कार्यालय में आकर देखी जा सकती है । निविदा विज्ञप्ति तथा शर्ते मण्डी बोर्ड की वेवसाइट www.mpmandiboard.gov.in पर देखी जा सकती है ।

संयुक्त संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
नर्मदापुरम संभाग
केम्प इटारसी मण्डी

Scanned by CamScanner

वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र शर्ते

1–म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय नर्मदापुरम संभाग इटारसी को मय वाहन बोलेरो तथा मॉडल 2019 के बाद का टेक्सीपरमीट में पंजीकृत वाहन मासिक दर के आधार पर किराये पर न्यूनतम 01 वर्ष की अवधि हेतु लेने बावत सील बंद निविदा आंमत्रित की जाती है ।
2–कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र मूल्य 200/–रू जमा कर या मण्डी बोर्ड की वेवसाईट www.mpmandiboard.gov.in से दिनांक 29.01.2020 को समय 05:30 बजे तक डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है । निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 03.02.2020 समय 05:30 बजे तक है । दिनांक 04.02.2020 को 12:00 बजे उपस्थित निविदाकर्ता के समक्ष निविदा तकनीकी एवं वित्तीय आफर आकर खोली जावेगी ।

तकनीकी अर्हताएं:–

1–वेवसाईट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा प्रपत्र के मूल्य राशि रू 1000/– (एक हजार रू मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट संयुक्त संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय नर्मदापुरम संभाग इटारसी (कृषि उपज मण्डी समिति) म0प्र0 के नाम देय हो,संलग्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
2–निविदा के साथ अमानत राशि 10000/– अंकन (दस हजार रू मात्र) की एफ0डी0आर0 संयुक्त संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय नर्मदापुरम संभाग इटारसी (कृषि उपज मण्डी समिति) म0प्र0 के नाम देय हो, संलग्न किया जाना होगा तथा सफल निविदाकार की उपरोक्त यह धरोहर अमानत राशि के रूप में परिवर्तित हो जायेगी ।
3–निविदा कर्ता को ट्रेवल एजेन्सी संचालन का 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य शासकीय/निजि संस्थाओं मे वाहन किराये पर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4–निविदा कर्ता को विगत 03 वर्ष का आय प्रमाण पत्र इनकम टेक्स रिर्टन एवं राशि 500000/–अंकन (पांच लाख रू मात्र) या अधिक प्रतिवर्ष का तीन वर्षो का टर्नओवर का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा । प्रमाण पत्र सी0ए0 द्वारा प्रमाणित होना चाहिऐ ।
5–गुमाशता पंजीयन सेवाकर वैध पंजीयन की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा ।
6–वाहन का पंजीयन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में टेक्सी कोटे के अंतर्गत होना अनिवार्य है । तथा निविदाकार के स्वामित्व अथवा एजेन्सी से संलग्नत: न्यूनतम 03 वाहन होना अनिवार्य है। जिसमें प्रमाण स्वरूप उसे वाहन के पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करनी होगी ।

वित्तीय ऑफर:–

1–निविदाकार द्वारा वाहनों की दरें संलग्न निविदा प्रपत्र में प्रत्येक माह के फिक्सड राशि मासिक रूप में प्रपत्र ''अ'' के क अनुसार चार्जेस प्रतिमाह दरे अंकित की जानी होगी ।
वहन मुख्यालय के बाहर प्रवास पर जाने की स्थिति में प्रपत्र ''अ'' के ख अनुसार चार्जेस प्रति कि0मी0 की दरे अंकित की जानी होगी । दरों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई राशि टेक्स इत्यादि देय नहीं होगी ।
2–निविदा कर्ताओं द्वारा दी गई दरे समान प्राप्त होने पर निर्णय विगत तीन वर्षो के टर्न ओवर अधिकत्म होने की स्थिति पर लिया जावेगा ।

संयुक्त संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
नर्मदापुरम संभाग
केम्प इटारसी मण्डी

वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा की अन्य शर्तें

1. वाहन का पंजीयन वर्ष 2019 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।
2. वाहन किराये की दरें मासिक आधार पर 10 घंटे प्रतिदिन एवं 1000 कि0मी0 प्रतिमाह अधिकतम पर होगी।
3. वाहन चालक संबंधित ऐंजेंसी का रहेगा जिसके पास नियमानुसार ड्राइविंग लायसेंस होना अनिवार्य है।
4. तकनीकी अर्हता में अर्हतित होने से ही वित्तीय आफर खोले जावेंगें तकनीकी अर्हता एवं वित्तीय आफर के पृथक–पृथक लिफाफे को एक बडे लिफाफे में सील बन्द कर प्रस्तुत किया जायेगा।
5. निविदा दरें कार्यादेश जारी करने से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।तथा इसके पश्चात दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अनुबंध अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकेगी।
6. अनुबंध की अवधि में एक वर्ष तक निविदाकर्ता द्वारा दी गई दरों में पेट्रोल/डीजल के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण कोई वृद्धि नहीं की जावेगी।एक वर्ष पश्चात यदि अनुबंध की अवधि में वृद्धि की जाती है तो दी गई दरों में वृद्धि अथवा कमी पेट्रोल/डीजल में हुई वृद्धि के आंकलन अनुसार ही की जावेगी।
7. वाहन के पंजीयन एवं बीमा पर होने वाले व्यय इत्यादि के समस्त दायित्वों का वहन निविदाकार द्वारा ही किया जावेगा।वाहन की बीमा पालिसी इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें वाहन में बैठने वाले व्यक्तियों का जोखिम भी संम्मिलित हो।वाहन चालक के ड्राईविंग लायसेंस तथा वाहन के बीमे की एक सत्यापित छायाप्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। बीमा समाप्त होने से पूर्व समयावधि में बीमे का नवीनीकरण तत्काल करने का उत्तरदायित्व भी निविदाकार का है।
8. अनुबंध अवधि में वाहन बोर्ड के पास रहेगा एवं बोर्ड के जिस अधिकारी को वाहन आवंटित होगा उसके नियंत्रण में ही संचालित होगा।वाहन की पार्किग बोर्ड अथवा आवंटित अधिकारी के निर्देशानुसार निर्दिष्ट स्थान पर की जावेगी।
9. अनुबंध अवधि में वाहन में किसी प्रकार की परिस्थितियों में टूट फूट चोरी हानि दुर्घटना इत्यादि का पूर्ण दायित्व संबंधित एजेंसी का होगा।इसकी हानि की प्रतिपूर्ति बीमा एजेंसी से प्राप्त करने के लिए समस्त कार्यवाही एजेंसी द्वारा अपने स्तर से की जावेगी इस संबंध में बोर्ड का कोई दायित्व नहीं होगा।
10. वाहन के मुख्यालय से वाहर भ्रमण पर जाने पर वाहन चालक को प्रवास के दौरान टी.ए./डी.ए. का भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा ही किया जावेगा।
11. वाहन मासिक आधार पर उपलब्ध कराने में वाहन चालक पेट्रोल/डीजल/वाहन की मरम्मत आदि की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।
12. प्राप्त निविदाओं को बिना कारण बताऐ निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा।
13. निविदा सफल होने पर एक वर्ष का अनुबंध संयुक्त संचालक म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय नर्मदापुरम संभाग इटारसी के साथ करना होगा।
14. वाहनों के मुख्यालय में उपयोग के समय एवं मुख्यालय से बाहर भ्रमण के दौरान पार्किंग शुल्क/टोल टेक्स आदि व्यय संबंधित म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वहन किया जावेगा।
15. आवश्यकतानुसार किराये पर लेने वाले वाहन की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है।
16. वाहन की लांग बुक बनानी अनिवार्य होगी जिसमें अद्यतन प्रविष्टि की जानी होगी।वाहन चालक द्वारा इसमें नियमित रूप से प्रविष्टि करना होगी। लांग बुक पर सक्षम प्राधिकारी/उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगें।

17. ट्रेवल्स एजेंसी द्वारा प्रतिमाह देयक भुगतान हेतु वाहन लांग बुक की छायाप्रति सहित कार्यालय में प्रस्तुत किये जावेंगें। देयकों का संबंधित अधिकारी से सत्यापन पश्चात दरों की गणना का परीक्षण कर देयक का भुगतान किया जावेगा।
18. वाहन उपयोगकर्ता की पुष्टि उपरांत एजेंसी द्वारा माह में किसी भी दिन वाहन उपलब्ध न कराने पर समानुपातिक दर से देय राशि का कटौत्रा किया जावेगा।
19. इस अनुबंध को लेकर किसी भी प्रकार के विवाद के लिए म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों पर बंधन कारक रहेगा।

संयुक्त संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
नर्मदापुरम संभाग,केम्प इटारसी

वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा की शर्तें

1. निविदायें तीन लिफाफा पद्वति में आमंत्रित की गई है, जिसके लिए प्रथम लिफाफा (अ) में धरोहर राशि,द्वितीय लिफाफा (ब) मे तकनीकि आर्हता से संबंधित अभिलेख एवं तृतीय लिफाफा (स) में वित्तीय आफर प्रस्तुत किया जावेगा। इन तीनों लिफाफों को एक बडे लिफाफे में सीलबन्द कर प्रस्तुत किया जावेगा। इन तीनों लिफाफों को कमशः उपयुक्तता निर्धारण पश्चात खोला जावेगा। अर्थात धरोहर राशि व तकनीकि अर्हता संबंधी अभिलेख उपयुक्त पाये जाने पर ही वित्तीय आफर का लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा नहीं।
2. तकनीकि अर्हता संबंधी अभिलेख लिफाफा (ब) में नियमानुसार प्रस्तुत किये जावेंगे :–
    1. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण पत्र।
    2. सर्विस टेक्स,आयकर पंजीयन की छायाप्रति एवं विगत वर्ष का आयकर चुकारा प्रमाण पत्र।
    3. विगत 03 बर्षो में शासकीय,अर्द्वशासकीय एवं अन्य रेपूटेड कंपनी में सफलता पूर्वक वाहन किराये पर उपलब्ध कराने का अनुभव प्रमाण पत्र।
    4. टैक्सी कोटे में पंजीकृत कम से कम <u>06</u> वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
3. निविदा के साथ–साथ धरोहर राशि एफ.डी.आर. के रूप में निविदा अवधि तक के लिए संयुक्त संचालक म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय नर्मदापुरम संभाग इटारसी के नाम बनी हो प्रस्तुत की जावेगी।
4. अन्य शर्ते, विवरण टेण्डर डाक्यूमेंट के अनुसार रहेगी।

संयुक्त संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
नर्मदापुरम संभाग,केम्प इटारसी

:– निविदा प्रपत्र –:

1–फर्म का नाम...

2–सेवाकर पंजीयन कमांक..''अ'' ....
.....

3–धरोहर राशि...

रूपये...................................डी0डी0 कमांक...दिनांक................................

4–''क'' दर मासिक आधार पर मॉडल बोलेरो (लोअर सेगमेन्ट)

राशि अंको में ..../–प्रति माह राशि शब्दो में ....
....प्रतिमाह ।

नोटः–उपरोक्त दरे वाहन के स्थानीय 100 कि0मी0 एवं 10 घंटे प्रतिदिन के उपयोग हेतु जिसमें पेट्रोल एवं डीजल की खपत भी सम्मिलित है एक मुश्त प्रतिमाह दी जानी है । स्थानीय उपयोग में इटारसी एवं होशंगाबाद मुख्यालय होशंगाबाद भ्रमण सम्मिलित रहेगी एवं 100 कि0मी0 के पश्चात की प्रवास की दरें लागू होगी ।

5–''ख'' दरे प्रवास पर जाने हेतु मॉडल बोलेरो (लोअर सेगमेंट)

राशि अंको में रूपये.../–प्रति किलोमीटर
राशि शब्दो में रूपये...प्रति किलोमीटर

नोटः–

01–वाहन मुख्यालय से बाहर जाने की स्थिति में प्रवास दरे प्रति कि0मी0 दी जानी है ।

02–उपरोक्त दरों के अतिरिक्त वाहन चालक को प्रवास भत्ते एवं हल्टिंग हेतु कोई पृथक से राशि देय नहीं होगी ।

03–उपरोक्त दरें सेवाकर सहित दी जावेगी इसके अतिरिक्त कोई भी राशि देय नही होगी । देय भुगतान पर नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी ।

हस्ताक्षर
नामः–
पताः–
मोबाईल नं0ः–
दूरभाष कमांकः–